राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

(अपील संख्या–6038/2022)

प्रवीण लक्ष्कार **–प्रार्थी–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला टोंक।
4. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिग्गी, जिला टोंक।
5. दिनेश कुमार वर्मा, सीएचसी, बड़वा, जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 07.07.2023

उपस्थित :–

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री विरेन्द्र प्रजापत, अभिभाषक
निजी प्रत्यर्थी की ओर से : श्री कुलदीप सिंह पुनिया, अभिभाषक
प्रत्यथी विभागी की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में यह तथ्य अंकित किये गए हैं कि अपीलार्थी प्रवीण लक्ष्कार नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सीएचसी डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 21.11.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 दिनेश कुमार वर्मा के स्थान पर सीएचसी बड़वा जिला जयपुर से अपीलार्थी के स्थान पर सीएचसी डिग्गी् तह. मालपुरा जिला टोंक में कर दिया। जबकि सीएचसी डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक में पद खाली नहीं था और वहां पर अपीलार्थी कार्यरत था। अपीलार्थी का कहीं भी स्थानांतरण नहीं किया गया। ऐसे में अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी को पदस्थापित किया जाना उचित नहीं है। इस अपील में इस अधिकरण द्वारा दिनांक 30.11.2022 को अंतरिम आदेश पारित कर अपीलार्थी को विवादग्रस्त आदेश दिनांक 21.11.2022 की पालना में अधिकरण के आगामी आदेश तक कार्यमुक्त नहीं किये जाने के आदेश पारित किये गए थे एवं यह भी स्पष्ट किया गया था कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे, जहां पर चुनौती आदेश जारी किये जाने से पूर्व कार्यरत था तथा अपीलार्थी का वेतन आहरण भी वर्तमान स्थान से करने के निर्देश दिये गए थे।

2. इस अपील में निजी प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह कथन अंकित किया गया है कि विवादग्रस्त आदेश दिनांक 21.11.2022 पूर्णतः प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए लोकहित में जारी किया गया था, जो मंत्री महोदय द्वारा अनुमोदित है। जिसमें किसी भी प्रकार से अपीलार्थी के विपरीत नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी को निदेशालय के लिए कार्यमुक्त किये जाने के निर्देश दिये गए हैं और उसके तहत अपीलार्थी को निदेशालय के लिए कार्यमुक्त किया गया है, जो उचित व वैध है। यह भी अंकित है कि अपीलार्थी वर्ष 2016 से डिग्गी में पदस्थापित है। एक ही स्थान पर किसी कर्मचारी के पदस्थापित रहने के संबंध में कोई लियन पैदा नहीं होता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के तहत पति–पत्नी एक ही स्थान पर पदस्थाि्पत रहने तथा पुत्री की गंभीर बीमारी को देखते हुए स्थापनांतरित किया गया है, जो उचित एवं वैध है। यह भी अंकित किया गया है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश दिनांक 21.11.2022 की पालना में प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा कार्यग्रहण किया जा चुका है तथा अपीलार्थी को निदेशालय के लिये कार्यमुक्त किया जा चुका है। अतः उक्त स्थाानांतरण आदेश दिनांक 21.11.2022 की पूर्ण पालना हो चुकी है। निजी प्रत्यार्थी द्वारा पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अतंरिम आदेश दिनांक 30.11.2022 को अपास्त किये जाने हेतु प्रार्थना की गई है।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. दोनों पक्षकारों को अंतिम रूप से सुना गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।
5. अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी का कहीं भी स्थानांतरण नहीं किया गया है और अपीलार्थी के पद पर निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है। निजी प्रत्यर्थी का तर्क रहा है कि अपीलार्थी को आगामी पदस्थापन हेतु कार्यमुक्त किया जा चुका था। अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर वर्ष 2016 से कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी का अन्य स्थान पर पदस्थापन करने का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। केवलमात्र निजी प्रत्यर्थी के स्थाानांतरण पर अपीलार्थी का पदस्थापन हुआ है। साथ ही यह भी प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी वर्तमान पद पर काफी समय से कार्यरत है। यह भी प्रकट हुआ है कि वर्तमान में सीएचसी डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक में अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी दोनों कार्यरत है, अर्थात् एक ही स्थान पर दो कार्मिक पदस्थापित हो गए है। उपरोक्त

परिस्थियों को देखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग समस्त परिस्थितियों को देखते हुए, प्रशासनिक आवश्याकता को दृष्टिगत रखते हुए एंव लोकहित में नये सिरे से नियमानुसार अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण/पदस्थापित करने के उचित आदेश 1 माह में पारित करें। तब तक अंतरिम आदेश दिनांक 30.11.2022 प्रभावी रहेगा।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)